न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 298 / 2025

श्री दुलीचन्द, निवासी नंगली गुजरान, श्योनाथपुरा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333020
मो0न0 7340133638

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी।

––

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 14.08.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.07.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 298 / 2025 पर दिनांक 22.07.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2025 / 3586–87 दिनांक 22.07.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी ने पत्रांक आरटीआई / 2024 / 647 दिनांक 04.08. 2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री दुलीचन्द पुत्र उदयसिंह, ग्राम श्योनाथपुरा, पोस्ट नंगली गुजरान, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक सू0अ0 / 2025 / 403–404 दिनांक 17.06.2025 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक एवं ऑनलाईन उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी पत्रांक आरटीआई / 2024 / 647 दिनांक 04.08.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री दुलीचन्द पुत्र उदयसिंह, ग्राम श्योनाथपुरा, पोस्ट नंगली गुजरान, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0 / 2025 / 403–404 दिनांक 17.06.2025 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक एवं ऑनलाईन उपलब्ध करवा दी गई है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर झुंझुनूं